



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22012021-224636  
CG-DL-E-22012021-224636

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 293]  
No. 293]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 22, 2021/माघ 2, 1942  
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 22, 2021/MAGHA 2, 1942

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2021

का.आ. 324(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 22) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा 22 जनवरी, 2021 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 21 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 1/5/2019-सीएल-1]  
के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2021

S.O. 324(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Companies (Amendment) Act, 2019 (22 of 2019), the Central Government hereby appoints the 22<sup>nd</sup> day of January, 2021 as the date on which the provisions of section 21 of the said Act shall come into force.

[F. No. 1 /5 /2019-CL.I]  
K.V.R. MURTY, Joint Secy.